लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / शि.क. / अ.पे.यो. / बी / / 2011 / 7 भोपाल, दिनांक 8-2-2013

प्रति,

1. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक
2. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी
   मध्यप्रदेश

विषय : अध्यापक संवर्ग हेतु लागू की गयी अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में दिशा निर्देश।
संदर्भ : पत्र क्रमांक / शि.क. / अ.पे.यो. / बी / 2011 / 1013 दिनांक 02 / 11 / 11, 330 दिनांक 10 / 06 / 11 ।

अध्यापक संवर्ग हेतु लागू की गयी अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में समय–समय पर निर्देश जारी किये गये है ताकि योजना का क्रियान्वयन उचित तरीके से किया जा सके। एन.एस.डी.एल. से एवं अध्यापकों द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत जानकारी का परीक्षण कर उनके प्रान क्रमांक की प्रविष्टि एजुकेशन पोर्टल पर की जाती है। माह दिसंबर 2012 की स्थिति में प्राप्त 717 नवीन प्रान की प्रविष्टि एजुकेशन पोर्टल पर की जा चुकी है। जनवरी 2013 में प्राप्त 768 नवीन प्रान की प्रविष्टि एजुकेशन पोर्टल पर किये जाने संबंधी कार्यवाही जारी है। इसके अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से प्राप्त प्रान की प्रविष्टि भी यथा परीक्षण उपरांत पोर्टल पर की जाती है। प्रान क्रमांक तैयार करने में आने वाली समस्याओं एवं योजना के उचित ढंग से क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है: –

1. अध्यापक संवर्ग हेतु अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत प्रान आवंटन हेतु पोर्टल पर भरें हुए फार्म डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध है, संविदा शाला शिक्षक का संविलियन अध्यापक संवर्ग में होने की स्थिति में डी.डी.ओ. की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित संविदा शाला शिक्षक का पदनाम पोर्टल पर तत्काल परिवर्तित करें, तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी उसे सत्यापित कर संचालनालय को अग्रेषित करेंगे।

2. अनेक संविदा शाला शिक्षकों के अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने के उपरांत भी उनके पदनाम एजुकेशन पोर्टल पर परिवर्तित नही किये गये है। संबंधित के अंशदान की गणना हेतु यह आवश्यक है कि उनके पदनाम का संविलियन उपरांत तत्काल पदनाम परिवर्तन कर दिया जाए। **संविदा शाला शिक्षकों के अध्यापक संवर्ग में गलत / त्रुटिपूर्ण पदनाम प्रविष्टि के संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।**

3. यह देखने में आया है कि अनेक अध्यापक कोषालय अधिकारी के माध्यम से प्रान तैयार करवा लेते है। इसलिये उनके प्रान एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट पर संचालनालय के रिकार्ड में प्रदर्शित नही होते है। प्रान संचालनालय के माध्यम से ही प्राप्त किये जाए। संचालनालय का DTA एवं **DTO कोड 4011453** है। एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट पर पंजीकृत सभी डी.डी.ओ. के कोड एजुकेशन पोर्टल पर जिलावार डी.डी.ओ. की जानकारी के साथ उपलब्ध है।

4. उचित जानकरी के अभाव में एन.एस.डी.एल. द्वारा कुछ अध्यापकों के डूप्लीकेट प्रान आवंटित किये गये है। डूप्लीकेट प्रान संबंधी जानकारी डी.डी.ओ. तत्काल संचालनालय में उपलब्ध कराऐंगे।

5. संबंधित अध्यापक अनेकों बार अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण फार्म भरकर भेज देते है। जिससे उनके फार्म एन.एस.डी.एल. द्वारा निरस्त कर दिये जाते है। फार्म में समस्त जानकारी आवश्यक रूप से प्रविष्ट करें। फार्म में **सेक्शन बी** 3. – **PPAN** में संबंधित का यूनिक आईडी, बी 8. – DDO Registration में एन.एस.डी.एल. में डी.डी.ओ. रजिस्ट्रेशन कोड एवं बी 9. – में DTO कोड

4011453 प्रविष्ट करें। प्रान फार्म में किसी प्रकार की कांटा–छांटी नही करें। सभी प्रविष्टियां सुस्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिये।

6. प्रान कार्ड में किसी प्रकार के संशोधन की स्थिति में संबंधित अध्यापक को एन.एस.डी.एल. द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा, तत्पश्चात ही प्रान कार्ड में किसी प्रकार का वांछित संशोधन किया जा सकेगा।

7. एन.एस.डी.एल. द्वारा अवगत कराया गया है कि साफ्टकापी के आधार पर तैयार किये गये लगभग 19,490 अध्यापकों के प्रान क्रमांक आई.आर.ए. दावा (Individual Retirement Account Complaint) नही है। इनकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी उक्त सभी अध्यापकों के प्रान फार्म डाउनलोड कर प्रति हस्ताक्षरित कर तत्काल संचालनालय को उपलब्ध कराएंगे ताकि उनकी प्रविष्टि एन.एस.डी.एल. पर की जा सके।

8. प्रत्येक माह में एन.एस.डी.एल. को संबंधित के एवं शासन के अंशदान का अंतरण पोर्टल से आगामी माह में रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात किया जाता है। अतएव सभी डी.डी.ओ. यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र की प्रत्येक संस्थाओं के सभी वेतन देयक पोर्टल पर यथा समय तैयार कर लॉक किये जाएं एवं लॉक करने के पश्चात पोर्टल में आवश्यक प्रविष्टियां जैसे बी.टी.आर. नंबर, चेक नंबर इत्यादि प्रविष्ट करें।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

7/2/13

(अरूण कोचर)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक/शि.क./अ.पे.यो./बी/ / 2011/(2) भोपाल, दिनांक 8-2-2013

प्रतिलिपिः

1 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

2 आयुक्त, आदिवास विकास विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल।

3 आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।

4 राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, विंध्याचल भवन, भोपाल।

5 श्री सुनिल जैन, तकनीकि निदेशक, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, विंध्याचल भवन, भोपाल।

6 समस्त संकुल प्राचार्य / आहरण एवं संवितरण अधिकारी, मध्यप्रदेश।

7/2/13

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश